भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 150 / 2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 रामकुमार पुत्र जगराम।
2 महावीर पुत्र बल्लुराम।
3 सुरजीत पुत्र बल्लुराम।
4 इन्द्रावली पुत्री बल्लुराम।
5 सिलोचना पुत्री बल्लुराम।
6 रोशन पुत्री बल्लुराम।
7 सन्तोष पुत्र बल्लुराम।
8 चांदकोर पुत्री बल्लुराम।
9 बीरबल राम पुत्र नतथुराम समस्त जाति जाट निवासीगण सांचला तहसील टोलान जिला फतेहबाद हाल आबाद बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मु. ज्याना देवी पुत्री नाथाराम।
1/1 रणवीर पुत्र चन्दगीराम।
1/2 सत्यवीर पुत्र चन्दगीराम।
1/3 दयानन्द पुत्र चन्दगीराम।
1/4 विजयसिंह पुत्र चन्दगीराम समस्त जाति जाट निवासीगण सींथल बोलियों की ढ़ाणी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
1/5 रमा देवी पत्नी प्यारेलाल।
1/6 मोहनी देवी पत्नी डालियाजी जाति जाट निवासीगण मिलो की ढ़ाणी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
1/7 तारामणी देवी पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी साखला की ढाणी तन नंगली तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ... सीकर
सत्यमेव जयते

2 चन्दगीराम पुत्र लिछमणराम।
3 दयानन्द पुत्र चन्दगीराम।
4 मु. शिमला पुत्री चन्दगीराम।
5 बुंटीराम पुत्र मनीराम समस्त जाति जाट निवासीगण हुभवपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
6 कैलाश पुत्र मनीराम।
7 प्यारेलाल पुत्र मनीराम समस्त जाति जाट निवासीगण कानसुजिया की ढाणी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
8 मु. बशेशरी पुत्री मनीराम पत्नी भगतसिंह जाति जाट निवासी अरडावता तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
9 मु. बेजी देवी पुत्री मनीराम पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी घरड़ाना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
10 मु. शारदा पुत्री मनीराम पत्नी श्रीराम लाम्बा।
11 मु. सुशीला पुत्री मनीराम पत्नी बनवारीलाल निवासीगण चैलासी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
12 मु. कमला पुत्री मनीराम पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी अरड़ावता तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
13 कैलाश दत्तक पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कानसुजिया की ढ़ाणी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
14 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम बखिलाफ निर्णय व डिक्री न्यायालय
सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी उनवानी पदमा
बनाम मनीराम वगैरह दिनांक 24.01.2003
मुकदमा नम्बर 380/2002

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर अधिकारी
सीकर (झुंझुनू)

सत्यमेव जयते

उपस्थिति :

1. श्री लाखन सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र बुडानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–27.01.2020

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 380/2002 में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2003 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में पदमा देवी ने मालीराम आदि के विरूद्व विवादित भूमि खसरा नम्बर 1128,1129 वाके ग्राम बजावा बाबत दावा प्रस्तुत कर दिनांक 24.01.2003 को डिक्री करवा लिया। इस निर्णय की विरूद अपीलांट ने धारा 5 एवं धारा 96 का आवेदन प्रस्तुत कर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि अपीलांट के पिता जगराम व बल्लूराम ने दिनांक 02.06.1992 को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र क्रय कर ली थी। वादीगण ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना, पंजिकृत विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौति दिये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त कर लिया है। ऐसा निर्णय विधि के प्रावधानों के विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है तो रेस्पोडेंट को कोई आपत्ति नही है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि अपीलांट के पिता जगराम व बल्लूराम ने दिनांक 02.06.1992 को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र क्रय कर ली थी। वादीगण ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना, पंजिकृत विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौति दिये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त कर लिया है। ऐसा निर्णय विधि के प्रावधानों के विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट ने अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने में सहमती जाहिर की है। फलतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5, धारा 96 न्यायहित में स्वीकार किये जाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को वाद में प्रतिवादी संयोजित कर जवाब एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर